

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 14(2)मं.मं./2003

जयपुर, दिनांक: 28-5-2012


आदेश

इस सचिवालय की समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांक 23.04.2012 के क्रम में माननीय संसदीय सचिवगण को राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त होने के कारण राज्यमंत्री के स्वविवेकानुदान कोष में की गई वृद्धि के अनुरूप स्वविवेकानुदान की राशि 50,000/- के स्थान पर 1,00,000/- (अक्षरे एक लाख) प्रतिवर्ष के लिए प्रावेधित की जाती है।

ये आदेश दिनांक 1.4.2012 से प्रभावी होंगे।

यह आदेश वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. संख्या 101201751 दिनांक 16.5.2012 के अनुसरण में जारी किया जाता है।


राज्यपाल की आज्ञा से,



(डॉ० गौतम मुखर्जी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राज0, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज0, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राज0, जयपुर।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. महालेखाकार, राज0, जयपुर।
6. समस्त निजी सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
7. मुख्य लेखाधिकारी, राज0, जयपुर।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0, जयपुर।
9. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन हेतु कृपया 50 प्रतियां इस सचिवालय को भिजवायें।



शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।



शासन उप सचिव